# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा/अ.आ/एल.पी.सी./15/डी–U30 दिनांकः– 26.6.15

## कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **117वीं बैठक दिनांक: 24.06.15 को अपराह्न 04.00 बजे** जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"चिन्तन सभा कक्ष"** में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

| क्र. सं | जोन नं. | प्रस्ताव संख्या | विषय | निर्णय |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | 117:1 | भूमि एवं सम्पत्ति निरतारण समिति की 116वीं बैठक दिनांक 25.05.15 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं बैठक 108वीं से 116वीं की पालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत। | भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 116वीं बैठक दिनांक 25.05.15 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। बैठक संख्या 108 से 116 की पालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा सभी उपायुक्तों को अविलम्ब अनुपालना करने के निर्देश दिए। |
| 2. | अआ (एल पीसी) | 117:2 | श्री शाकिब अली अन्तर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट खिलाडी को आवासीय भूखण्ड आवंटन करने बाबत। | श्री शाकिब अली अर्न्तराष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट खिलाडी ने सितम्बर, वर्ष 2014 में ढाका में आयोजित द्वितीय साउथ एशियन रॉल बॉल चैम्पियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त करने के फलस्वरूप भूखण्ड आवंटन चाहा है। उक्त पदक राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया। |
| 3. | 7 | 117:3 | सहायक पुलिस आयुक्त वैशाली नगर, जयपुर को योजना कुबेर कॉम्पलैक्स सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि में से 620 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत। | उपायुक्त जोन–7 ने जविप्रा की कुबेर कॉम्पलैक्स फेसिलिटी एरिया हेतु आरक्षित 1240.22 व.ग. में से सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय वैशाली नगर, जयपुर के कार्यालय भवन हेतु दक्षिण दिशा में स्थित 620 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय, वैशाली नगर, जयपुर हेतु योजना कुबेर कॉम्पलैक्स के फेसिलेटी एरिया हेतु आरक्षित 1240.22 व.ग. में से दक्षिण दिशा में 620 वर्गमीटर भूमि योजना की संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। |
| 4. | 7 | 117:4 | जयपुर विकास प्राधिकरण की पुनर्वासित योजना गिरधारीपुरा कच्ची बस्ती मे 5362 वर्गमीटर भूमि करणी विहार थाने को आवंटित करने बाबत। | उपायुक्त जोन–7 द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की पुनर्वासित योजना गिरधारीपुरा कच्ची बस्ती में 5362 वर्गमीटर भूमि करणी विहार थाने को आवंटित करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर गिरधारीपुरा कच्ची बस्ती योजना में करणी विहार थाने हेतु संस्थानिक भूखण्ड क्षेत्रफल 10731.62 वर्गमीटर में से 5362 वर्गमीटर भूमि योजना की संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। |
| 5. | 7 | 117:5 | गोविन्दपुरा करधनी योजना के भूखण्ड संख्या 1 व 2 के बीच 9.2 मीटर की लेन को विलोपित करते हुये भूखण्ड संख्या 1 व 2 का पुर्नगठित कर कुल क्षेत्रफल 8199 वर्गमीटर भूमि करधनी थाने को आवंटित करने बाबत। | उपायुक्त जोन–7 द्वारा गोविन्दपुरा करधनी योजना के भूखण्ड संख्या 1 व 2 के बीच 9.2 मीटर की लेन को विलोपित करते हुये भूखण्ड संख्या 1 व 2 का पुर्नगठित कर कुल क्षेत्रफल 8199 वर्गमीटर भूमि करधनी थाने को आवंटित करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रस्तावित 8199 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। |

जयपुर विकास प्राधिकरण

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6. | 7 | 117:6 | जयपुर मेट्रो रेल परियोजना में बाधित मंदिर (बडी चौपड स्थित) को गोविन्दपुरा करधनी योजना में भूमि आवंटन बाबत। | समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण को स्थगित किया गया। |
| 7. | 10 | 117:7 | मोती डूंगरी रोड से हटाये गये मन्दिरों को सुमेल योजना में 45 वर्गमीटर के भूखण्ड दिये जाने के संबंध में। | मोती डूंगरी रोड पर स्थित मंदिर को हटाये जाने के फलस्वरूप श्री रामचन्द्र पथरिया पुत्र श्री दौलतराम के नाम मन्दिर पुनर्वास के बदले 45 वर्गमीटर का एक भूखण्ड सुमेल योजना के सी–ब्लॉक में 45 वर्गमीटर के खाली भूखण्ड संख्या 381, 382, 384, 387, 389, 390, 391, 392, 393, 395 से 399 में से कोई भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवंटन करने हेतु उपायुक्त द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त भूखण्डों में से कोई एक भूखण्ड लॉटरी के माध्यम से योजना की आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार को कार्योत्तर स्वीकृति हेतु लिखा जावे। |
| 8. | 10 | 117:8 | जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. को 33/11 केवी स्टेशन हेतु बीएसयूपी हाउसिंग स्कीम, जयसिंहपुरा खोर में ब्लॉक बी में 25 X 40 मी. भूमि आवंटन करने बाबत। | उपायुक्त जोन–10 ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. को 33/11 केवी सब स्टेशन हेतु बीएसयूपी हाउसिंग स्कीम, जयसिंहपुरा खोर में ब्लॉक बी में 25 X 40 मी. भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. को 33/11 केवी सब स्टेशन हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि योजना की संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। |
| 9. | 10 | 117:9 | श्री रामनारायण शर्मा को पालडी मीणा योजना के भूखण्ड संख्या बी–587 के अधिक बढ़े हुये क्षेत्रफल के आवंटन करने बाबत। | श्री रामनारायण शर्मा को पालडी मीणा योजना में भूखण्ड संख्या बी–587 क्षेत्रफल 40 वर्गमीटर आवंटन किया गया था। मौके पर उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 30 व.मी. अधिक बढ़ जाने के कारण अधिक बढ़े हुये क्षेत्रफल के आवंटन करने हेतु उपायुक्त ने एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर श्री रामनारायण शर्मा को भूखण्ड संख्या बी–587 में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के अन्तर्गत योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। |
| 10. | 11 | 117:10 | श्योजीराम, लालचन्द पिता ग्यारसा एव दिनेश पुत्र प्रभातीलाल की निजी खातेदारी की ग्राम पंवालिया तहसील सांगानेर में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित आवासीय योजना गोविन्दम ग्लोबल–बी में सृजित सुविधा क्षेत्र का आवंटन करने बाबत। | श्योजीराम, लालचन्द पिता ग्यारसा एवं दिनेश पुत्र प्रभातीलाल द्वारा निजी खातेदारी की ग्राम पंवालिया तहसील सांगानेर में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित आवासीय योजना गोविन्दम ग्लोबल–बी में सृजित सुविधा क्षेत्र 368.55 वर्गगज का धार्मिक स्थल हेतु आवंटन चाहा है। उपायुक्त जोन–11 ने उक्तानुसार आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 3(77)नविवि/3/2010 पार्ट–IV जयपुर, दिनांक 13.02.15 से अनुमोदित टाउनशिप योजनाओं में सुविधा क्षेत्र को आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का प्रावधान है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर योजना की आवासीय आरक्षित दर 4000/–प्रति वर्गमीटर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। |
| 11. | 11 | 117:11 | श्री सुनीत सेठी पुत्र श्री सत्यपाल सेठी को अनुपम विहार योजना में आवेदक को पूर्व में आवंटित भूखण्ड संख्या 316 के स्थान पर निरस्त किए गए भूखण्ड संख्या डी–218 | श्री सुनीत सेठी पुत्र श्री सत्यपाल सेठी को अनुपम विहार आवासीय योजना में भूखण्ड 316, 12 मीटर चौडी सडक पर आवंटित किया गया था। परन्तु खसरा सीमा में परिवर्तन होने के कारण योजना के डी–ब्लॉक की रिप्लानिंग की गई। योजना में 252 वर्गमीटर के 43 भूखण्ड सृजित किये जाकर लॉटरी निकाली गई। आवेदक श्री |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | आवंटित किये जाने बाबत। | सुनीत सेठी लॉटरी से वंचित रह गये। अब उपायुक्त ने भूखण्ड संख्या 316 के स्थान पर निरस्त किये गये भूखण्ड संख्या डी–218 के विनिमय हेतु एजेण्डा मय पत्रावली प्रस्तुत की गई है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या 316 के स्थान भूखण्ड संख्या डी–218 विनिमय करने का निर्णय लिया गया। |
| 12. | 11 | 117:12 | श्रीमती मधु चौरडिया पत्नि श्री विनय चौरडिया की निजी खातेदारी की ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा तहसील सांगानेर में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित आवासीय योजना ग्रीन वैली में सृजित सुविधा क्षेत्र को आवंटन करने बाबत। | श्रीमती मधु चौरडिया पत्नि श्री विनय चौरडिया द्वारा निजी खातेदारी की ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा तहसील सांगानेर में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित आवासीय योजना ग्रीन वैली में सृजित सुविधा क्षेत्र 2126.11 वर्गगज का नर्सिंग होम हेतु आवंटन चाहा है। उपायुक्त जोन–11 ने उक्तानुसार आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010 पार्ट–IV जयपुर, दिनांक 13.02.15 से अनुमोदित टाउनशिप योजनाओं में सुविधा क्षेत्र को आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का प्रावधान है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर योजना की आवासीय आरक्षित दर 8500/–प्रति वर्गमीटर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। |
| 13. | 12 | 117:13 | एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर के आराजी खसरा नं. 769 में से 33408.68 व.मी. व खसरा नं. 330 रकबा 7.26 हैक्टेयर में से 9132.41 व.मी. इस प्रकार कुल किता 2 रकबा 42541.09 व.मी. भूमि आवंटन बाबत। | एलपीसी की बैठक दिनांक 31.03.15 में एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर के खसरा नं. 769 में से 10 एकड भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया था। उपायुक्त द्वारा एजेण्डा प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि ए.टी.आई. को आवंटित की जाने वाली ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर की भूमि में खसरा नं. 769 के साथ खसरा नं. 330 की भूमि भी सम्मलित है। अतः संस्था को आराजी खसरा नं. 769 में से 33408.68 व.मी. व खसरा नं. 330 रकबा 7.26 हैक्टेयर में से 9132.41 व.मी. इस प्रकार कुल किता 2 रकबा 42541.09 व.मी. भूमि आवंटन की जानी है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर एलपीसी की बैठक दिनांक 31.03.15 में संशोधन करते हुये खसरा नं. 769 क्षेत्रफल 33408.68 वर्गमीटर व खसरा नं. 330 क्षेत्रफल 9132.41 व.मी. कुल 42541.09 व.मी. भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया। पूर्व में राज्य सरकार द्वारा ग्राम अचरोल में भूमि निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई थी। अतः राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। |
| 14. | 13 | 117:14 | पशुपालन विभाग प्रथम श्रेणी चिकित्सालय, चौमू के भवन निर्माण हेतु ग्राम चौमू के खसरा नं. 2471 रकबा 0.45 हैक्टेयर किस्म चरागाह में से [illegible] भूमि आवंटन करने बाबत। | उपायुक्त जोन–13 द्वारा पशुपालन विभाग प्रथम श्रेणी चिकित्सालय, चौमू के भवन निर्माण हेतु ग्राम चौमू के खसरा नं. 2471 रकबा 0.45 हैक्टेयर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर पशुपालन विभाग को ग्राम चौमू के खसरा नं. 2471 रकबा 0.45 हैक्टेयर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। |
| 15. | 14 | 117:15 | निजी खातेदारी योजना सैम्विन ऑफिसर्स कैम्पस विस्तार पार्ट–प्रथम में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि क्षेत्रफल 1275.69 व.ग. भूमि का क्लब हाउस प्रयोजनार्थ आवंटन करने बाबत। | उपायुक्त जोन–14 ने निजी खातेदारी योजना सैम्विन ऑफिसर्स कैम्पस विस्तार पार्ट–प्रथम में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि क्षेत्रफल 1275.69 व.ग. भूमि का क्लब हाउस प्रयोजनार्थ आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। योजना की आवासीय आरक्षित दर 6000/– प्रति वर्गमीटर है। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 3(77)नविवि/3/2010 पार्ट–IV जयपुर, दिनांक 13.02.15 से अनुमोदित टाउनशिप योजनाओं में सुविधा क्षेत्र को |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का प्रावधान है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर योजना की आवासीय आरक्षित दर 6000/–प्रति वर्गमीटर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। |
| 16. | 15 | 117:16 | मैसर्स सिद्धा इन्फ्रा को निजी खातेदारी की ग्रुप हाउसिंग योजना में सुविधा क्षेत्र की भूमि आवंटन के संबंध में। | मैसर्स सिद्धा इन्फ्रा प्रोजेक्टस प्रा.लि. जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री पारस कुमार जैन पुत्र श्री शान्तिलाल जैन ने ग्राम ठीकरिया एवं बग्रूखुर्द तहसील सांगानेर के खसरा नं. 73, 74, 79, 80, 81, 86, 74/1004, 75/1005, 76/1006, 77/1007, 80/1008, 800, 805, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814 815 एवं 804 कुल क्षेत्रफल 400090 वर्गमीटर का आवासीय ग्रुप हाउसिंग हेतु पट्टा दिनांक 28.11.10 को जारी किया, है, में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित 2110 वर्गमीटर का गेस्ट हाउस एवं रेस्टोरेंट हेतु आवंटन करने का अनुरोध किया है। उपायुक्त ने आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। जोन की आवासीय आरक्षित दर 2800/– प्रति वर्गमीटर है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर एलपीसी की 108वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार एकल पट्टे के प्रकरण में जोन की आवासीय आरक्षित दर 2800/– प्रति वर्गमीटर की दुगुनी दर अर्थात 5600/– प्रति वर्गमीटर पर सुविधा क्षेत्र की 2110 वर्गमीटर भूमि गेस्ट हाउस हेतु आवंटन करने का निर्णय लिया गया। |
| 17. | 15 | 117:17 | मैसर्स ओमेक्स लि0 जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री मनीष चौबे को निजी खातेदारी योजनाा ओमेक्स सिटी में स्थित सुविधः क्षेत्र एफ–18 क्षेत्रफल 2524.93 वर्गमीटर भूमि स्कूल हेतु आवंटन करने बाबत। | मैसर्स ओमेक्स लि. जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री मनीष चौबे द्वारा निजी खातेदारी की आवासीय योजना ओमेक्स सिटी में स्थित सुविधा क्षेत्र एफ–18 क्षेत्रफल 2524.93 वर्गमीटर स्कूल हेतु आवंटन करने का अनुरोध किया है। उपायुक्त जोन–15 ने उक्तानुसार आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। योजना की आवासीय आरक्षित दर 8000/– प्रति वर्गमीटर निर्धारित है। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010 पार्ट–IV जयपुर, दिनांक 13.02.15 से अनुमोदित टाउनशिप योजनाओं में सुविधा क्षेत्र को आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का प्रावधान है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर योजना की आवासीय आरक्षित दर 8000/–प्रति वर्गमीटर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। |
| 18. | 12बी | 117:18 | निजी खातेदारी योजना सनराईज सिटी ग्राम निवारू तहसील जयपुर के जविप्रा द्वारा अनुमोदित मानचित्र में एण्ड यूज निर्धारण अनुसार कम्यूनिटी सेन्टर का निजी विकासकर्त्ता को आवंटन करने बाबत। | मैसर्स त्रिमूर्ति कॉलोनाईजर्स एण्ड बिल्डर्स प्रा0 लि0 जरिये डायरेक्टर शरद मिश्रा द्वारा निजी खातेदारी की आवासीय योजना सनराईज सिटी ग्राम निवारू तह. जयपुर में स्थित सुविधा क्षेत्र क्षेत्रफल 985.34 व.ग. कम्यूनिटी सेन्टर हेतु आवंटन करने का अनुरोध किया है। उपायुक्त जोन–12बी ने उक्तानुसार आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। योजना की आवासीय आरक्षित दर 9000/– प्रति वर्गमीटर निर्धारित है। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 3(77)नविवि/3/2010 पार्ट–IV जयपुर, दिनांक 13.02.15 से अनुमोदित टाउनशिप योजनाओं में सुविधा क्षेत्र को आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का प्रावधान है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर योजना की आवासीय आरक्षित दर 9000/–प्रति वर्गमीटर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। |
| 19. | 9 | 117:19 | जोन–9 के क्षेत्राधिकार में स्थित निजी खातेदारी की 21 | उपायुक्त जोन–9 ने निजी खातेदारी की 21 आवासीय योजना में स्थित सुविधा क्षेत्र के आवंटन करने हेतु एजेण्डा |

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>आवासीय योजनाओ के सुविधा क्षेत्र को संबंधित विकासकर्ता को आवंटन करने बाबत।</td><td>नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर जिन योजनाओं में विकासकर्त्ता द्वारा सुविधा क्षेत्र के आवंटन का प्रयोजन प्रार्थना पत्र में अंकित किया है, उन्हें निम्न प्रकार भूमि का आवंटन योजना की आवासीय आरक्षित दर पर बीपीसी (एलपी) द्वारा End Use का अनुमोदन होने की शर्त पर किये जाने का निर्णय लिया गया।
<table>
<tr><th>क्र. सं</th><th>निजी खातेदारी की अनुमोदित योजना का नाम</th><th>नाम खातेदार</th><th>सुविधा क्षेत्र का क्षेत्रफल</th><th>आरक्षित दर</th><th>आवंटन का प्रयोजन</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td>1</td><td>गुलमोहर पार्क प्रथम</td><td>श्री प्रभात कुमार पालीवाल</td><td>1177.97</td><td>9000/-</td><td>स्कूल</td></tr>
<tr><td>2</td><td>शिव आफिसर्स कॉलोनी ब्लॉक डी</td><td>श्री भगवान सहाय चौधरी</td><td>3645.69</td><td>9000/-</td><td>स्कूल</td></tr>
<tr><td>3</td><td>ग्रीनपार्क</td><td>विकासकर्ता</td><td>2175.00</td><td>10000/-</td><td>स्कूल/हैल्थ रिसोर्ट</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4</td><td rowspan="2">शिवम नगर</td><td rowspan="2">श्री नाथु लाल खण्डेलवाल</td><td>1666.66</td><td rowspan="2">8000/-</td><td>हैल्थ रिसोर्ट</td></tr>
<tr><td>3703.00</td><td>स्कूल</td></tr>
<tr><td>5</td><td>शिव ऑफिसर्स कॉलोनी डी ब्लॉक विस्तार</td><td>शिवालिक कॉलोनाईजर्स भगवान चौधरी</td><td>3805.55</td><td>10000/-</td><td>क्लब हाउस</td></tr>
<tr><td>6</td><td>बैंक ऑफिसर्स कॉम्पलेक्स डी ब्लॉक</td><td>गंगाराम चौधरी</td><td>4391.85</td><td>8000/-</td><td>स्कूल</td></tr>
<tr><td>7</td><td>श्रीराम विहार</td><td>रूपनारायण शर्मा</td><td>685.12</td><td>10000/-</td><td>क्लब हाउस</td></tr>
<tr><td>8</td><td>शिव ऑफिसर्स कॉलोनी ब्लॉक बी</td><td>भगवान सहाय चौधरी</td><td>1468.00</td><td>9000/-</td><td>स्कूल</td></tr>
<tr><td>9</td><td>श्रीराम विहार साउथ बी</td><td>अशोक अग्रवाल</td><td>2389.51</td><td>10000/-</td><td>स्कूल</td></tr>
</table>
बीपीसी (एलपी) द्वारा निर्धारित End Use अन्तिम होगा।</td></tr>
<tr><td>20.</td><td>14ए</td><td>117:20</td><td>ग्राम शिवदासपुरा तह. चाकसू में रिंग रोड क्षेत्र में जविप्रा द्वारा आरक्षित भूमि में से रिंग रोड क्षेत्र में पुलिस थाने हेतु 15125 वर्गगज भूमि आवंटन करने बाबत।</td><td>पुलिस आयुक्त, जयपुर ने रिंग रोड क्षेत्र में पुलिस थाना स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन चाहा है। उपायुक्त जोन-14 द्वारा ग्राम शिवदासपुरा तह. चाकसू में रिंग रोड क्षेत्र में जविप्रा द्वारा आरक्षित 27667 व.मी भूमि में से पुलिस थाने के प्रशासनिक व आवासीय भवन हेतु 15125 वर्गगज भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर पुलिस थाने के प्रशासनिक व आवासीय भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि में से 5000 वर्गमीटर भूमि योजना की संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।</td></tr>
<tr><td>21.</td><td>12</td><td>117:21</td><td>मनीपाल विश्वविद्यालय को ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर मे उनके मानचित्र मे दर्शाये सी खसरा नं. 372 रकबा 0.22 है0, व डी बिन्दू खसरा नं. 460 रकबा 0.69 हैक्टेयर कुल किता रकबा</td><td>उपायुक्त द्वारा एजेण्डा नोट में ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर के खसरा नं. 372 रकबा 0.22 है0, खसरा नं. 460 रकबा 0.69 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 9100 वर्गमीटर भूमि मनीपाल विश्वविद्यालय को आवंटन हेतु प्रस्तावित किया है। उक्त भूमि का नामान्तरकरण जविप्रा के पक्ष में स्वीकृत नहीं हुआ है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खसरा नं. 372 व 460 खातेदारों के नाम दर्ज है। खसरा नं. 372 की</td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 9100 वर्गमीटर भूमि का आवंटन करने बाबत। | भूमि पर राजस्थान उच्च न्यायालय में एस.बी. सिविल रिट पिटिशन नं. 9386/2014 लम्बित है, किन्तु किसी प्रकार का स्थगन नहीं होना बताया है। आवेदित भूमि का पेपर पजेशन प्राप्त किया जाना उल्लेखित किया है। उपायुक्त ने बैठक के दौरान बताया कि खसरा नं. 459 रकबा 0.06 हैक्टेयर जविप्रा के स्वामित्व में है, जिसे भी मनीपाल विश्वविद्यालय को आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि मनीपाल विश्वविद्यालय द्वारा उसके द्वारा समर्पित 10340 वर्गमीटर भूमि के एवज में भूमि चाही गई है। एलपीसी की 107वीं बैठक दिनांक 18.06.14 में संस्था को 6000 वर्गमीटर भूमि विनिमय कर दी गई है। शेष 4340 वर्गमीटर भूमि संस्था को विनिमय की जानी है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूमि का नामान्तरकरण जविप्रा के पक्ष में स्वीकृत होने के पश्चात मनीपाल विश्वविद्यालय को 9700 वर्गमीटर भूमि का कब्जा दिया जा सकता है। अतः 9700 वर्गमीटर भूमि में से संस्था को 4340 वर्गमीटर भूमि विनिमय करते हुये शेष 5360 वर्गमीटर भूमि योजना की संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। लीजडीड की कार्यवाही नामान्तरकरण स्वीकृत होने के पश्चात की जावे। |
| 22. | 14 | 117:22 | राजस्थान आवासन मण्डल को ग्राम वाटिका की भूमि आवंटन करने बाबत। | समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण को स्थगित किया गया। |

बैठक में प्रस्तुत निम्नांकित टेबल एजेण्डा पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23. | 11 | 117:22(1) | रिंग रोड के विकसित कॉरिडोर परियोजना के अन्तर्गत ग्राम अचरावाला में डिग्गी मालपुरा रोड से लगवा 4 बीघा भूमि पुलिस थाना हेतु आवंटन करने बाबत। | समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त के प्रस्तावानुसार रिंग रोड के विकसित कॉरिडोर परियोजना के अन्तर्गत ग्राम अचरावाला में डिग्गी मालपुरा रोड से लगवा 4 बीघा भूमि में से पुलिस थाना स्थापित करने हेतु 5000 वर्गमीटर भूमि योजना की संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। |
| 24. | 11 | 117:22(2) | बगरू में न्यायालय हेतु भूमि आवंटन करने बाबत। | जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपुर महानगर ने ग्राम बगरू में न्यायालय स्थापित करने हेतु 30 बीघा भूमि आवंटन करने की मांग की है। उपायुक्त द्वारा ग्राम बगरू तहसील सांगानेर के खसरा नं. 3872 रकबा 4.95 हैक्टेयर भूमि आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर बगरू न्यायालय हेतु उक्त भूमि जोन की संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। |
| 25. | 11 | 117:22(3) | श्री सुखदेव सिंह पुत्र बलराम सिंह राजपूत बहैसियत जरिये मुख्त्यारआम सखी चन्द राम पुत्र श्री रुदल राम को निजी खातेदारी की स्वामित्व की भूमि को जविप्रा स्वामित्व के खसरा नं. 1951 में से 40 फीट रास्ते हेतु भूमि आवंटन करने बाबत। | उपायुक्त द्वारा श्री सुखदेव सिंह पुत्र बलराम सिंह राजपूत बहैसियत जरिये मुख्त्यारआम सखी चन्द राम पुत्र श्री रुदल राम को उनकी खातेदारी भूमि पर जाने हेतु जविप्रा स्वामित्व के खसरा 1951 रकबा 0.8 हैक्टेयर में से 50' x 40' = 222.22 वर्गगज भूमि रास्ते हेतु भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। नविवि की आवंटन नीति दिनांक 19.04.11 व राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के अन्तर्गत निजी खातेदार को भूमि आवंटन का प्रावधान नहीं है। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 में प्रस्तावित टाउनशिप के अन्दर स्थित सिवायचक/चरागाह/रास्ते की भूमि के आवंटन का प्रावधान है। प्रश्नगत भूमि प्रस्तावित टाउनशिप योजना के अन्दर स्थित न होकर बाहर स्थित है। समिति द्वारा विचार |

सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | विमर्श कर प्रश्नगत भूमि को जोन की आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर रास्ते हेतु आवंटन करने की अभिशंषा अग्रांकित शर्तों सहित राज्य सरकार को किये जाने का निर्णय लिया गया। रास्ते के लिए आवंटित भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ काम में ली जावेगी। प्रश्नगत भूमि पर आवेदक को कोई स्वत्व/स्वामित्व नहीं मिलेगा। |
| 26. | 11 | 117:22(4) | जविप्रा की ग्रुप हॉउसिंग योजना दहमीखुर्द के तीन ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों को राजस्थान आवासन मण्डल को आवंटन करने बाबत। | उपायुक्त जोन–11 द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को जविप्रा की ग्रुप हाउसिंग योजना दहमीखुर्द में ग्रुप हाउसिंग–1 क्षेत्रफल 5295.78 वर्गमीटर, ग्रुप हाउसिंग–2 क्षेत्रफल 5448.04 वर्गमीटर, ग्रुप हाउसिंग–4 क्षेत्रफल 5069.77 वर्गमीटर कुल 3 भूखण्ड 15813.59 वर्गमीटर आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। योजना की आवासीय आरक्षित दर 8900/– रूपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त भूमि राजस्थान आवासन मण्डल को 8900/– प्रति वर्गमीटर की दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। |
| 27. | 15 | 117:22(5) | श्री बृजमोहन सिंघला को सेज पुनर्वास योजना ग्राम टीलावस में आवंटित व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 367 के बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन के संबंध में। | श्री बृजमोहन सिंघला पुत्र श्री दीनदयाल सिंघला जरिये मुखत्यारआम श्रीमती शिखा अग्रवाल पत्नी श्री अरूण अग्रवाल को सेज पुनर्वास योजना ग्राम टीलावस में व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 367 क्षेत्रफल 54 वर्गमीटर आवंटित किया गया है। मौके पर उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 16.2 वर्गमीटर बढ गया है। उपायुक्त जोन–15 ने एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उक्त बढे हुये क्षेत्रफल का पृथक से भूखण्ड सृजित नहीं किया जा सकता। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के अन्तर्गत बढे हुये क्षेत्रफल 16.2 व.मी. को व्यावसायिक आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। |
| 28. | 13 | 117:22(6) | मंदिर श्री गणेश जी, शिवजी ट्रस्ट, बाई जी का खन्दा, बडी चौपड जयपुर को जयपुर मेट्रो रेल परियोजना, फेज–1बी के निर्माण क्षेत्र से प्रभावित होने से राजारामपुरा योजना, सीकर रोड के भूखण्ड संख्या 229 क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर में पुर्नस्थापित करने बाबत। | जयपुर मेट्रो रेल परियोजना, फेज–1बी के निर्माण क्षेत्र से प्रभावित मंदिर श्री गणेश जी, शिवजी ट्रस्ट, बाई जी का खन्दा, बडी चौपड जयपुर को अन्यत्र शिफ्ट करने हेतु प्रबन्धक निदेशक, जेएमआरसी के पत्र दिनांक 19.06.15 एवं जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर के पत्र दिनांक 18.06.15 के क्रम में मंदिर को राजारामपुरा योजना सीकर रोड में 45 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु लिखा है। उपायुक्त जोन–13 द्वारा उक्त मंदिर को पुर्नस्थापित करने हेतु राजारामपुरा योजना सीकर रोड के भूखण्ड संख्या 229 क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर मंदिर श्री गणेश जी, शिवजी ट्रस्ट, बाई जी का खन्दा, बडी चौपड जयपुर को राजारामपुरा योजना के भूखण्ड संख्या 229 क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार को कार्योत्तर स्वीकृति हेतु लिखा जावे। |
| 29. | 12बी | 117:22(7) | ग्राम पीथावास, तहसील जयपुर के खसरा नं. 160 रकबा 13 बीघा 16 बिस्वा किस्म चरागाह भूमि में से 1000 वर्गमीटर भूमि ग्राम पंचायत पीथावास पंचायत समिति झोटवाडा के भवन निर्माण हेतु आवंटन करने बाबत। | समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त के प्रस्तावानुसार ग्राम पंचायत पीथावास पंचायत समिति झोटवाडा के भवन निर्माण हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा सम्पूर्ण भूमि की प्लानिंग कराई जाकर प्रश्नगत भूखण्ड का आवंटन इस प्रकार किया जावे कि शेष भूमि का समुचित उपयोग हो सके। |

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त / अभियांत्रिकी–द्वितीय / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / पश्चिम / एल.पी.सी. / भूमि), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
15. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10ए, 11, 12, 12ए, 12बी, 13, 13ए, 14, 14ए, 15 से 19
16. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
17. विशेषाधिकारी, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
18. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

परिशिष्ट 'अ'

# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

## उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 117वीं बैठक दिनांक 24.06.15 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

| क्र.सं. | नाम अधिकारी मय पद | एल.पी.सी. में पद |
|---|---|---|
| 1. | श्री शिखर अग्रवाल, आयुक्त | अध्यक्ष |
| 2. | श्री पवन अरोड़ा, सचिव | सदस्य |
| 3. | श्री देवराज सिंह, निदेशक (वित्त) | सदस्य |
| 4. | श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक (नगर आयोजना) | सदस्य |
| 5. | श्री मेघराज सिंह रतनू, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि) | सदस्य |
| 6. | श्रीमति रश्मि गुप्ता, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी) | सदस्य सचिव |
| 7. | श्री बृजेश किशोर शर्मा, विशेषाधिकारी (आर एम) | विशेष आमंत्रित |
| 8. | श्री सुखवीर सैनी, उपायुक्त जोन–7 | विशेष आमंत्रित |
| 9. | विनिता सिंह, उपायुक्त जोन–8 | विशेष आमंत्रित |
| 10. | श्री रामलाल गुर्जर, उपायुक्त जोन–9 | विशेष आमंत्रित |
| 11. | श्री भागीरथ हावा, उपायुक्त जोन–10 | विशेष आमंत्रित |
| 12. | श्री राजकुमार सिंह, उपायुक्त जोन–11 | विशेष आमंत्रित |
| 13. | श्री मधुसूदन पालीवाल, उपायुक्त जोन–12 | विशेष आमंत्रित |
| 14. | डॉ. प्रवीण कुमार, उपायुक्त जोन–12ए व 12बी | विशेष आमंत्रित |
| 15. | श्री बीरबल सिंह शेखावत, उपायुक्त जोन–13 व 13ए | विशेष आमंत्रित |
| 16. | श्री भंवर सिंह सांदू, उपायुक्त जोन–14ए | विशेष आमंत्रित |
| 17. | श्री नरेश सिंह तंवर, उपायुक्त जोन–15 | विशेष आमंत्रित |
| 18. | श्री प्रभात गौस्वामी, विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क) | विशेष आमंत्रित |